संख्या-35 /2017-1996 ई-2/तेरह-2017-101/2015

प्रेषक,

राम बहादुर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 29 अगस्त,2017

विषय:- वर्तमान सुरक्षा होलोग्राम आपूर्तक का कार्यकाल बढ़ाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-197/दस-लाइसेंस-294/होलोग्राम आपूर्ति/यूफ्लैक्स लि0/2017-18, दिनांक 09 अगस्त,2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र दिनांक 09 अगस्त,2017 में किये गये अनुरोध एवं प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-843 ई-2/तेरह-2013-233/2000, दि0 15-5-2013, शासनादेश संख्या-35/2016/1236 ई-2/तेरह-2016-101/2015टी0सी0, दि0 15-6-2016, शासनादेश संख्या-56/2016/2041ई-2/तेरह-2016-101/2015टी0सी0, दि0 16 सितम्बर,2016, शासनादेश संख्या-80/2016/2647ई-2/तेरह-2016-101/2015टी0सी0, दिनांक 16 दिसम्बर,2016, शासनादेश संख्या-07/2017/459 ई-2/तेरह-2017-101/2015, दि0 16-3-2017, शासनादेश संख्या-12/2017/704 ई-2/तेरह-2017-101/2015, दि0 13 अप्रैल,2017, शासनादेश संख्या-17/2017/1056 ई-2/तेरह-2017-101/2015, दि0 17 मई,2017 तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-23/2017/1457 ई-2/तेरह-2017-101/2015, दि0 21 जून,2017 के क्रम में सुरक्षा होलोग्राम की आपूर्ति सुचारू रूप से बनाये रखने हेतु राजस्वहित एवं विशेष परिस्थिति में वर्तमान सुरक्षा होलोग्राम आपूर्तक मेसर्स यूफ्लैक्स लि0, ए-1, सेक्टर-60, नोएडा, गौतमबुद्धनगर का कार्यकाल टेण्डर एवं अनुबंध पत्र में निर्धारित शर्तों, प्रतिबन्धों एवं दरों पर दि0 17-8-2017 से आगामी दो माह अर्थात् दिनांक 17-10-2017 तक अथवा नई चयनित इकाई द्वारा नई विशिष्टताओं वाले सुरक्षा होलोग्रामों की आपूर्ति प्रारम्भ किये जाने की तिथि, जो भी पहले हो तक, बढाये जाने की एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

कृपया नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राम बहादुर सिंह)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।